

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक:एफ. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2024/9501

दिनांक: 28-09-2026

जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर), (पंचायत) बालोतरा, बाड़मेर,
डीडवाना-कुचामन, पाली, नागौर, जालोर, हनुमानगढ़,
झुझुनू, सीकर, चूरू, भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, सलूमबर,
अजमेर, टोंक, बीकानेर, ब्यावर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़
प्रतापगढ़, राजसमंद, एवं डुंगरपुर।

विषय:-पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनावों में SDMM/DMM के क्रमांक पीठासीन
अधिकारी की डायरी (परिशिष्ट-8) में इन्द्राज करने संबंधी निर्देश।

महोदय,

पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 में MPSV / MPMV मशीनें भी उपयोग
में ली जा रही हैं जिनमें कन्ट्रोल यूनिट में SDMM / DMM लगाई गई हैं जिनका क्रमांक
E-SUCHI Software में इन्द्राज किया जायेगा। साथ ही पीठासीन अधिकारी की पीओ डायरी
(परिशिष्ट-8) में बिन्दु संख्या 5 के भाग-1 में वर्णित उपयोग में ली गई कन्ट्रोल यूनिट की
क्रम संख्या के साथ SDMM / DMM के क्रमांक भी इन्द्राज करेंगे साथ ही प्ररूप-14 में
मशीन का पहचान संख्यांक में भी कन्ट्रोल यूनिट के क्रमांक के साथ SDMM / DMM के
क्रमांक भी इन्द्राज करेंगे।

ECIL द्वारा निर्मित MPSV एवं MPMV मशीनों एवं आरक्षित मशीनों को तैयार
(Commissioning) करने के दौरान एक ही सीयू कार्य में ली जायेगी जिस पर रिटर्निंग
अधिकारी द्वारा कैंडिडेट सैट करने के पश्चात् बाह्य सैक्सन पर पीला (जिला परिषद सदस्य
के लिए) और नीला (पंचायत समिति सदस्य के लिए) रंग के दोनो प्रकार के एड्रेस टैग सील
किये जावेंगे, जिन पर जिला परिषद/पंचायत समिति की विस्तृत प्रविष्टियाँ अंकित करते हुए
जिला परिषद के एड्रेस टैग (पीला) के पृष्ठ भाग पर SDMM / DMM के क्रमांक इन्द्राज
किये जायेंगे।

मतदान दलों के द्वारा मॉकपॉल के पश्चात् रिजल्ट सैक्सन को सील करते समय पीले
रंग के एड्रेस टैग को सीलींग प्रक्रिया में उपयोग में लें। जिसमें जिला परिषद के साथ-साथ
पंचायत समिति का नाम और निर्वाचन क्षेत्र संख्या भी अंकित करेंगे। मतदान पश्चात् मशीन
को क्लोज करने के उपरांत बाह्य बक्से पर नीला और पीला रंग के दोनो प्रकार के एक-एक
एड्रेस टैग लगाये जावेंगे।

संलग्न:- परिशिष्ट-8 एवं प्ररूप-14 (संशोधित)

भवदीय,

28/9/24

(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

दिनांक : 28-09-2024

क्रमांक:एफ. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2024/9502-007
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अति. निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान।
2. शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
5. समस्त रिटर्निंग अधिकारी मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) (कलक्टर)।
6. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को ईमेल करने, आयोग की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।


सहायक सचिव

परिशिष्ट - 8

पीठासीन ऑफिसर (प्रिंसाइडिंग ऑफिसर) की डायरी

- (1) जिला परिषद का नाम व
निर्वाचन क्षेत्र सं.
- (2) पंचायत समिति का नाम व
निर्वाचन क्षेत्र सं.
- (3) मतदान की तारीख
- (4) मतदान बूथ का नम्बर व नाम
- (5) मतदान मशीन
 - (1) उपयोग में ली गयी कन्ट्रोल यूनिट की सं. 1 जि.प. सदस्य/सरपंच.....SDMM / DMM no.....
2. पं. स. सदस्य/पंच SDMM / DMM no.....
 - (2) उपयोग में ली गयी कन्ट्रोल यूनिटों की पहचान क्रम संख्या 1 जि.प. सदस्य/सरपंच SDMM / DMM no.....
2. पं. स. सदस्य/पंच SDMM / DMM no.....
 - (3) उपयोग में ली गयी बैलेट यूनिटों की सं. 1 जि.प. सदस्य/सरपंच SDMM / DMM no.....
2. पं. स. सदस्य/पंच SDMM / DMM no.....
 - (4) उपयोग में ली गयी बैलेट यूनिटों की पहचान क्रम संख्या 1 जि.प. सदस्य/सरपंच SDMM / DMM no.....
2. पं. स. सदस्य/पंच SDMM / DMM no.....
- (6) (1) उपयोग में लाई गई पेपर सीलों का क्रमांक 1 जि.प. सदस्य/सरपंच
2. पं. स. सदस्य/पंच
- (2) उपयोग में लाई गई स्ट्रीप सील का क्रमांक 1 जि.प. सदस्य/सरपंच
2. पं. स. सदस्य/पंच
- (7) मतदान अभिकर्ताओं की संख्या और जो विलम्ब से आये हों, उनकी संख्या 1 जि.प. सदस्य/सरपंच
2. पं. स. सदस्य/पंच
- (8) ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान बूथ पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किये हैं 1 जि.प. सदस्य/सरपंच
2. पं. स. सदस्य/पंच
- (9) (1) मतदान बूथ पर कुल मतदाताओं की संख्या
(2) मतदाता सूची की चिन्हित प्रति के अनुसार अनुज्ञात किये गये मतदाताओं की संख्या 1 जि.प. सदस्य/सरपंच
2. पं. स. सदस्य/पंच
- (3) मतदाता पंजिका (प्ररूप 12 क) के अनुसार मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मत दिया 1 जि.प. सदस्य /सरपंच.....
2. पं. स. सदस्य/पंच
- (4) मतदान मशीन के अनुसार रिकार्ड किये गये मतों की संख्या 1 जि.प. सदस्य /सरपंच.....
2. पं. स. सदस्य/पंच
- (10) प्रथम मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर मतदाता पंजिका के प्रभारी मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर
निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मतदान किया :- पुरुषमहिला.....योग.....

- (11) निविदत (टेण्डर्ड) मतों की कुल संख्या 1 जि.प. सदस्य/सरपंच
2. पं. स. सदस्य/पंच
- (12) निर्वाचकों की संख्या :-
(क) जिनसे उम्र के बारे में
घोषणाएं प्राप्त की
(ख) जिन्होंने ऐसी घोषणा से
इन्कार किया
- (13) निर्वाचकों की
(क) जिनकी फोटो मतदाता
पहचान पत्र से पहचान की
गई
(ख) जिनकी वैकल्पिक दस्तावेजों
से पहचान की गई
- (14) मतदान करने वाले दृष्टि हीन मतदाताओं की संख्या, जिनकी नियम 41-क में सहायता की गई।
- (15) क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था ? यदि हों तो ऐसे स्थगन के कारण
- (16) डाले गये मतों की संख्या :
(क) मतदान प्रारम्भ होने से 10 बजे पूर्वान्ह तक
(ख) 10 बजे पूर्वान्ह से 1 बजे मध्यान्ह तक
(ग) 1 बजे मध्यान्ह से 3 बजे अपरान्ह तक
(घ) 3 बजे अपरान्ह से मतदान समाप्त होने तक
- (17) मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय पर दी गई पर्चियों (स्लिप्स की संख्या)
- (18) व्योरों सहित निर्वाचन अपराध निम्नलिखित मामलों की संख्या :-
(क) मतदान बूथ से 100 मीटर की दूरी के भीतर मत सयाचना
(ख) मतदाताओं द्वारा रूप-धारण (Impersonation) किया जाना
(ग) मतदान बूथ पर किसी सूची या सूचना या अन्य दस्तावेज को कपटपूर्वक बिगाड़ना, नष्ट करना या हटाना
(घ) मतदाताओं को रिश्वत देना
(ड) मतदाताओं (तथा अन्य व्यक्तियों) को भयभीत करना

- (च) बूथ कैपचरिंग
- (19) यदि निम्नलिखित कारणों से मतदान में विघ्न अथवा बाधा उत्पन्न हुई हो, तो उनका विस्तृत रूप से उल्लेख किया जाये :-
- (क) बलवा या खुली हिंसा
- (ख) बूथ कैपचरिंग
- (ग) मतदान मशीन का असफल होना
- (घ) अन्य कोई कारण
- (20) क्या मतदान बूथ पर उपयोग में ली गई किसी मतदान मशीन द्वारा मतदान को निष्फल बनाया गया :-
- (क) पीठासीन ऑफिसर की अभिरक्षा से अवैधानिक रूप से छीनकर
- (ख) विनिष्ट की गई अथवा उसमें गड़बड़ी की गई यदि इस प्रकार की कोई घटना हुई हो तो उसका पूर्ण विवरण दिया जायें।
- (21) अभ्यर्थी द्वारा की गई गम्भीर शिकायतें, यदि कोई हों
- (22) विधि तथा व्यवस्था भंग करने संबंधी मामलों की संख्या
- (23) मतदान दल (पोलिंग पार्टी) द्वारा की त्रुटियों तथा अनियमितताओं का पूर्ण विवरण
- (24) क्या आपने मतदान के पूर्व मतदान के बीच किसी नई मतदान मशीन का उपयोग किया हो तो उनके उपयोग में लाने से पूर्व तथा मतदान समाप्ति पर जैसा कि आवश्यक है घोषणाएं की हैं ?
- (25) अन्य महत्वपूर्ण घटना का विवरण (मॉकपॉल प्रमाण-पत्र संबंधित विवरण)

स्थान

तारीख

पीठासन अधिकारी (प्रिसाइडिंग ऑफिसर)
के हस्ताक्षर

- नोट :- (1) इस प्ररूप में यदि किसी मद के सामने पर्याप्त जगह न हो, तो सादे कागज पर जानकारी अंकित कर उसे इस डायरी के साथ नत्थी कर देना चाहियें।
- (2) यह डायरी मतदान मशीन तथा अन्य सील्ड पेपर के साथ रिटर्निंग ऑफिसर को प्रेषित करे।
- (3) दोनों चुनावों की प्ररूप - 14 की पृथक-पृथक एक-एक प्रति भी संलग्न करें।
- (4) पीठासीन अधिकारी की डायरी PS तथा ZP चुनाव के लिए एक ही होगी। इसी प्रकार पंच एवं सरपंच चुनाव के लिए भी एक ही डायरी होगी।

प्ररूप-14
(नियम 47ग और 49घ (6) देखिए)

भाग-1
अभिलिखित मतों का लेखा

निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड संख्या से.....
जिला परिषद्/पंचायत समिति/पंचायत वृत्त के लिए निर्वाचन।
मतदान बूथ की संख्या और नाम
मतदान बूथ पर प्रयुक्त मशीन का पहचान संख्यांक.....
नियंत्रण यूनिट.....
मतदान यूनिट.....
SDMM / DMM no.....

1. मतदान बूथ को समनुदिष्ट निर्वाचकों की कुल संख्या।
2. मतदाता रजिस्टर 'प्ररूप 12 में प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या।
3. नियम 36क, 38क या 40क के अधीन मतदान करने के लिए अनुज्ञात न किये गये मतदाताओं की संख्या।
4. मतदान मशीन के अनुसार अभिलिखित मतों की कुल संख्या।
5. क्या मद 5 के सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या मद 2 के सामने यथादर्शित मतदाताओं की कुल संख्या घटा-मद 3 के सामने दर्शित मत अभिलिखित न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या घटा-मद 4 के सामने मतदाताओं की संख्या (2-3-4) से मेल करती है या इसमें कोई फर्क पाया गया है।
6. उन मतदाताओं की संख्या जिनको नियम 44 क के अधीन निविदत्त मतपत्र जारी किये गये।
7. निविदत्त मतपत्रों की संख्या। क.स.....से.....तक
(क) उपयोग के लिए प्राप्त.....
(ख) निर्वाचकों को जारी किये गये.....
(ग) प्रयुक्त न किये गये और लौटाये गये.....
8. पेपर सील की कम संख्यासेतक

1. प्रदाय की गयी पत्र मुद्राओं (पेपर सील) की कम संख्यासेतक

अभ्यर्थी/मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर

2. प्रदाय की गयी पेपर मुद्राओं की कुल संख्या.....
3. प्रयुक्त पत्र मुद्राओं की संख्या.....
4. रिटर्निंग अधिकारी को वापस की गयी अप्रयुक्त पत्र मुद्राओं की संख्या.....
(मद 2 में से मद 3 घटाईए)
5. नष्ट हुई पत्र मुद्राओं का क्रम
संख्यांक, यदि कोई है।

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....
- 6.....
- 7.....

तारीख.....
स्थान.....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर
मतदान बूथ संख्या.....